बिल का सारांश

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (संशोधन) बिल, 2021

- राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (संशोधन) बिल, 2021 को 9 अगस्त, 2021 को लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग एक्ट, 2020 में संशोधन करता है।
- 2020 का एक्ट होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट, 1973 को रद्द करता है। 1973 का एक्ट होम्योपैथी की शिक्षा और प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल की स्थापना करता है। 2020 का एक्ट काउंसिल की जगह राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करता है। यह आयोग होम्योपैथी की शिक्षा और प्रैक्टिस को रेगुलेट करता है। उल्लेखनीय है कि 1973 के एक्ट को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख को रद्द किया जाना था।
- 2020 के एक्ट के पारित होने से पहले 2018 में 1973 के एक्ट में संशोधन किया गया था ताकि सेंट्रल काउंसिल का पुनर्गठन किया जा सके। सेंट्रल काउंसिल को एक साल के अंदर पुनर्गठित किया जाना था। 2019 और 2021 के बीच इस अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष कर दिया गया। 1973 के एक्ट को इस प्रावधान के लिए संशोधित किया गया कि जब तक काउंसिल का पुनर्गठन नहीं हो जाता, केंद्र सरकार द्वारा गठित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उसकी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकें। चूंकि राष्ट्रीय आयोग के गठन में समय लग रहा था और सेंट्रल काउंसिल का पुनर्गठन नहीं किया गया था, बोर्ड ने अपना काम जारी रखा।
- सेंट्रल काउंसिल का स्थान लेने के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन 5 जुलाई, 2021 को किया गया और उसी दिन 1973 का एक्ट रद्द हो गया। 2021 का बिल निर्दिष्ट करता है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा इस्तेमाल की गई शक्तियों और उनके द्वारा किए गए कार्यों (1973 के एक्ट के अंतर्गत) को 2020 के एक्ट के तहत किया गया माना जाएगा और ये जारी रहेंगे।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

आदित्य कुमार
aditya@prsindia.org

10 अगस्त, 2021